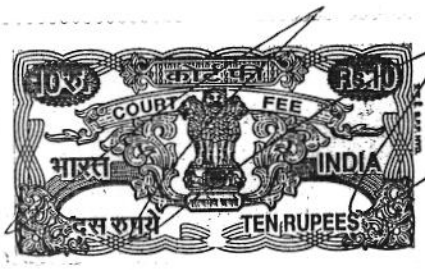

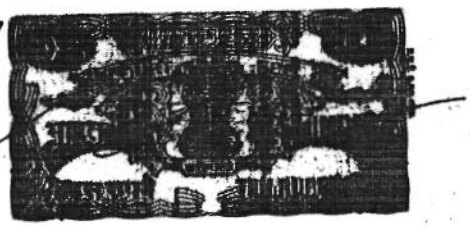

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र.   /निगरानी/15

निग /3791/I-15

कालूराम (मृतक) द्वारा उत्तराधिकारीगण
1. श्रीमती केसर बाई पत्नी स्व0 श्री कालूराम
2. विश्रामसिह आ0 स्व0 श्री कालूराम
3. कमलाबाई पुत्री स्व0 श्री कालूराम
4. जशोदाबाई पुत्री स्व0 श्री कालूराम

निवासीगण ग्राम युसुफपुरा (बजीरपुरा)तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. बारेलाल आ0 स्व0 श्री रामचन्द्र
2. प्यारेलाल आ0 स्व0 श्री प्रभू
3. प्रीतम आ0 स्व0 श्री प्रभू
4. मुन्ना आ0 स्व0 श्री प्रभू
5. श्रीमती तुलसी पत्नी स्व0 श्री प्रभू
6. मुकेश आ0 स्व0 श्री जयराम
7. सरवन आ0 स्व0 श्री जयराम
8. श्रीमती जमनाबाई पत्नी स्व0 श्री जयराम
9. ज्ञानीबाई पुत्री स्व0 श्री जयराम
10. दिलीप आ0 श्री प्रताप
11. बल्टु आ0 श्री प्रताप
12. मियाली पत्नी स्व0 श्री दिलीप
13. कमलाबाई पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र

निवासीगण ग्राम युसुफपुरा (बजीरपुरा)तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 .... अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्र0 119/अपील/2009–2010/ में पारित आदेश दिनांक 28/07/15 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम युसुफपुरा स्थित भूमि खसरा क्र0 109, 113, 32, 124, 31/3, 141/2 रकवा 2.077 हेक्टयर एवं

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3791-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/01/2019	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 119/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार सिरोंज के समक्ष संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जे के मान से बंटवारा कराये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 30.05.2009 द्वारा विधिवत बंटवारा आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 22.03.2010 द्वारा निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। जो उनके आदेश दिनांक 28.07.2015 द्वारा अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता को दिनांक 12.12.2018 को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया था, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क पेश नहीं किए गए हैं। अत: प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है। 4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदकगण के पिता स्व. कालूराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

विक्रय कर दी थी, इसलिए उसे बंटवारे में कम भूमि प्राप्त हुई है, विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पिता कालूराम की आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात ही सहमति के आधार पर बंटवारा आदेश पारित किया गया है जो अहस्तक्षेप योग्य है, तथा जिसकी इस स्तर पर अपील प्रस्तुत कर पुन: बंटवारा आदेश प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है, अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5. अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बंटवारे हेतु जारी इश्तहार के प्रकाशन पर कोई आपत्ति नहीं आई। एवं सहभूमिस्वामियों को सूचना-पत्र भेजने पर अनावेदक क्र. 1 द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फर्द बटान पर आपत्ति प्रस्तुत की। उक्त् आपत्ति पर तहसीलदार द्वारा पुन: हल्का पटवारी से फर्द बटान तैयार की गई जिसमें सभी हितबद्ध खातेदारों द्वारा सहमति दी गई। उक्त सहमति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारा आदेश पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय का आदेश उचित, वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण है जिसके स्थिर रखे जाने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। तथा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 यथावत रखा जाता है।

उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य